न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 02/2016

प्रार्थीः—	बनाम	अप्रार्थीगण :—
श्री अजय कुमार त्रिपाठी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, उ0प0 रेल्वे0 जयपुर		1 महेश कुमार कुमावत पुत्र नारायणलाल कुमावत (वेन्डर) मै0 बालान नेचुरल फुड प्रा0लि0, ए.वी.एम. कियोस्क, प्लेटफार्म नं. 1 रेल्वे स्टेशन फालना 2 श्री अश्विन गर्ग पुत्र रमेश कुमार गर्ग, प्रोपराईटर बी. नेचूरल फूड प्रा0लि0 ए. वी.एम. कियोस्क, प्लेटफार्म नं. 1 रेल्वे स्टेशन फालना पता गांधी पार्क के पास, आबुरोड जिला सिरोही 3 श्री अरविन्द पुत्र मदनलाल जोशी (सप्लायर बीकानेरी स्पाईशी भुजिया) मालिक एस0के0ब्रदर्स, सांडेराव रोड़, फालना 4 श्री हरीराम अग्रवाल पुत्र मदनलाल अग्रवाल (पार्टनर मै. शन शाईन फूड प्रोडक्ट्स) एफ.88, 89 बिच्छवाल इन्डस्ट्रीयल ऐरिया, बीकानेर 5 श्री जयप्रकाश अग्रवाल पुत्र मदनलाल अग्रवाल (पार्टनर मै. शन शाईन फूड प्रोडक्ट्स) एफ.88, 89 बिच्छवाल इन्डस्ट्रीयल ऐरिया, बीकानेर 6 श्रीमति ललितादेवी अग्रवाल पत्नि नवरतन अग्रवाल (पार्टनर मै. शन शाईन फूड प्रोडक्ट्स) एफ.88, 89 बिच्छवाल इन्डस्ट्रीयल ऐरिया, बीकानेर 7 मैसर्स शन शाईन फूड प्रोडक्ट्स एफ. 88, 89 बिच्छवाल इन्डस्ट्रीयल ऐरिया, बीकानेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित :-

1. श्री अजय कुमार त्रिपाठी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. श्री विपिन सान्दू, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी

—: निर्णय :—

दिनांक 8/12/2017

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी एवं विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर उत्तर पश्चिम रेल्वे, जयपुर में पदस्थापित है। दिनांक 18.11.2014 को दौराने गस्त अप्रार्थी संख्या 1 की ए0वी0एम0 कियोस्क स्टॉल से अप्रार्थी संख्या 1 की उपस्थिति में वहां बिक्री हेतु रखे हुए Bikaneri Spicy Bhujiya (BC) में मिलावट का शक हुआ, इस पर 400 ग्राम के चार पैकेट को वास्ते जांच हेतु क्रय कर, उक्त क्रयसुदा Bikaneri Spicy Bhujiya (BC) को चार भागों में विभक्त कर लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर NWR-085 अंकित किया एवं नमूना का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार की गई, जिस पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। उक्त सीलबन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, राजस्थान जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में प्रार्थी द्वारा लिया गया Bikaneri Spicy Bhujiya (BC) को Misbranded under section 3(1)(zf)(C)(i) of Food Sefety and Standards Act-2006 का पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Misbranded Bikaneri Spicy Bhujiya (BC) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा मानक स्तर का खाद्य पदार्थ तैयार किया जाता है, जिसमें खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट अनुसार किसी प्रकार की अनियमितता नही पाई गई है। फूड सेफ्टी एण्ड स्टेण्डर्ड पैकेजिंग एण्ड लेबलिंग रेगूलेशन 2.2.2.2 एवं उसमें वर्णित टेलब के अनुसार किसी भी खाद्य पदार्थ में काम आने वाले मसाले को लेबलिंग के अन्दर स्पाइसेस के नाम से प्रस्तुत क्या किया जाना चाहिए एवं प्रकृति को मिस ब्राण्डेड की श्रेणी में नही लिया जा सकता है। फूड सेफ्टी एण्ड स्टेण्डर्ड पैकेजिंग एण्ड लेबलिंग रेगूलेशन 2.2.2.2 (f) के अनुसार किसी भी पैकेजिंग में उस इंग्रेडिएंट का लिखना जरूरी नहीं होता, जिसकी मात्र 5 प्रतिशत से कम हो, क्योंकि उसमें सभी मसालों की मात्र भुजिया नमकीन में 5 प्रतिशत से कम होती है, इसलिये उस मसाले का प्रतिशत नही बताना, मिस ब्राण्डेड की श्रेणी में नही आता है। फूड सेफ्टी एण्ड स्टेण्डर्ड पैकेजिंग एण्ड लेबलिंग रेगूलेशन 2.2.2.2 (f) के अनुसार यदि कोई खाद्य पदार्थ "मिक्सर या कंबीनेशन" के रूप में बेचा जाता है, तो उसके पैकेजिंग पर प्रतिशत लिखना जरूरी नही होता है, क्योंकि भुजिया नमकीन न तो मिक्सर है, नही कंबीनेशन। इस अनुसार रेगूलेशन 2.2.2.2 (f) की अवज्ञा साबित नही होती है। फूड सेफ्टी एण्ड स्टेण्डर्ड पैकेजिंग एण्ड लेबलिंग रेगूलेशन 2.2.2.2 (f) के अनुसार यदि किसी इंग्रेडिएंट को फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में काम में लिया जाता है, तो पैकेजिंग पर उसको लिखने की जरूरत नही होती, क्योंकि मसाले फ्लेवरिंग एजेन्ट होते है, इसलिए उनका प्रतिशत लेबल पर नही लिखना मिस ब्राण्डेड की श्रेणी में नही आता है। फूड सेफ्टी एण्ड स्टेण्डर्ड पैकेजिंग एण्ड लेबलिंग रेगूलेशन 2.2.2.2 (f) के अनुसार यदि किसी इंग्रेडिएंट का कुल वजन पैकेज पर लिख रखा है, तो उसका प्रतिशत लिखने की जरूरत नही होती, क्योंकि इंग्रेडिएंट का वजन पैकेज पर लिख रखा है, इसलिए उसका प्रतिशत नही बताना मिस ब्राण्डेड की श्रेणी में नही आता है। इसके अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 38 एवं खाद्य

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 का नियम 2.3.1 की पालना में प्ररूप II में रसीद प्रदान नही करके नियम का उल्लंघन किया है, अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 2.4.1.2 के अन्तर्गत प्रारूप Iv पर गवाहों के हस्ताक्षर होने चाहिये, परन्तु हस्ताक्षर नही करा कर प्ररूप की वैधता प्रमाणित नही की जा सकती है। अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम एवं उसके अधीन बनाए गए सभी विनियम की पालना की गई है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करावे।

प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 18.11.2014 को अप्रार्थी की फर्म से Bikaneri Spicy Bhujiya (BC) क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या NWR-085 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./759/एक्ट/2014/778 दिनांक 02.12.2014 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या NWR-085 को Misbranded under section 3(1)(zf)(C)(i) of Food Sefety and Standards Act-2006 माना है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अध्याय 6 के नियम 26 (2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम के अध्याय 9 की धारा 52 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 को ए0वी0एम0 कियोस्क पर जिस Bikaneri Spicy Bhujiya (BC) का विक्रय किया जा रहा था, वह सामग्री अप्रार्थी संख्या 3 से क्रयसुदा है, जो अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा जरिये बिल संख्या 869 दिनांक 30.10.2014 के जरिये अप्रार्थी संख्या 1 को बेचान किया गया है। उक्त सामग्री अर्थात Bikaneri Spicy Bhujiya (BC) अप्रार्थी संख्या 4 से 6 की फर्म शन शाईन फूड प्रोडक्ट्स द्वारा निर्मित है। इस सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या 4 से 6 द्वारा अपना लिखित अभिकथन भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अब प्रश्न यह उद्भूत होता है कि क्या हस्तगत प्रकरण में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2), खाद्य सुरक्षा और मानक नियम 2011 तथा खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियमावली, 2011 का उल्लंघन पाया जाता है अथवा नही ? प्रकरण में मुख्यतः इस सम्बन्ध में खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियमावली, 2011 के अध्याय 2 के नियम 2.2.2.2 (f) का उल्लंघन करना जाहिर किया है। इस सम्बन्ध में उक्त नियम को रेखांकित किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियमावली, 2011 के अध्याय 2 के नियम 2.2.2.2 (घ) के अनुसार "जहां कोई संघटक स्वतः दो या दो से अधिक संघटकों का उत्पाद है, ऐसे संयोजित संघटकों की सूची में घोषित किया जाएगा, और इसके अवयवों की एक सूची कोष्टक में, यथास्थिति भार या प्रबलता के अवरोही क्रम में संलग्न की जायेगी। परन्तु जहां कोई संयोजित संघटक खाद्य के पांच प्रतिशत से कम है, वहां खाद्य योज्यक के सिवाय, संयोजित अव्ययवों की अवयव सूची को घोषित करना आवश्यक नही है। (च) मिश्रण या संयोजन के रूप में बेचे गए खाद्य के प्रत्येक पैकेज पर खाद्य के विनिर्माण के समय प्रयुक्त किए संघटक (मिश्रित संघटकों या संघटकों के प्रवर्गों सहित) की प्रतिशतता प्रकट की जाएगी, यदि ऐसा अवयव – (i) शब्दों या चित्रों या लेखाचित्रों द्वारा लेबल पर यथा मोजूद होने पर बल देता है व या (ii) खाद्य के नाम के अन्तर्गत नही है, किन्तु खाद्य की विशेषता बताने के लिए अनिवार्य

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

है और ग्राहकों द्वारा खाद्य में मौजूद होने की प्रत्याशा की जाती है, दि संघटक की मात्रा संबंधी घोषाणा से ग्राहक भ्रमित होता है या उसे धोखा होता है।" हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी का कथन है कि उनके द्वारा निर्मित सामग्री Bikaneri Spicy Bhujiya (BC) में इंग्रेडिएंट की मात्रा 5 प्रतिशत से कम है, इस कारण उस मसाले का प्रतिशत नही बताना, मिस ब्राण्डेड की श्रेणी में नही आता है। अप्रार्थी का उक्त तथ्य उन सघटकों के लिए लागू होता है, जहां संघटक सुवासक के रूप में उपयोग किया गया हो, किन्तु हस्तगत प्रकरण में निर्मित सामग्री Bikaneri Spicy Bhujiya (BC) मे किस मात्रा में क्या इंग्रेडिएंट मिश्रण किया गया है, यह अंकित नही है, जबकि उक्त नियम के अनुसार इसकी मात्रा एवं प्रतिशत को प्रदर्शित किया जाना आज्ञापक प्रावधान में शामिल किया गया है। इस आधार पर यह प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी संख्या 4 से 6 फर्म शनशाईन फूड प्रोडक्ट्स द्वारा निर्मित सामग्री Bikaneri Spicy Bhujiya (BC) के विर्निमाण में खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियमावली, 2011 के अध्याय 2 के नियम 2.2.2.2 (घ) (च) का उल्लंघन किया गया है, जो में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) के तहत मिथ्य छाप की पाई जाने से इसी अधिनियम की धारा 52 के अधीन शास्ती योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 4 से 6 द्वारा Misbranded Bikaneri Spicy Bhujiya (BC) का विर्निमाण/विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थी पर 3,00,000/– अक्षरे तीन लाख रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है। प्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थीगण संख्या 4 लगायत 6 से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपी अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(भागीरथ बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 8/12/2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली